

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No 25 of 2009) www.ggu.ac.in [07752-260021/ 9479217990, 9926461044

क्र. ...1404 / वित्त / 12

बिलासपुर दिनांकः 26/03/12

/ / परिपत्र / /

भारत सरकार द्वारा नई पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना ऐसे सभी नए कर्मचारियों पर लागू है, जो 1 जनवरी 2004 या इसके बाद से शासकीय सेवा में शामिल हुये हैं। इस योजना के तहत संबंधित कर्मचारी को अपने मूल वेतन + डी.ए. का 10% देना होगा। यह राशि उसके प्रत्येक महीने के वेतन से कटौती की जायेगी और नियोक्ता द्वारा समान योगदान किया जायेगा। नई पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों को उपभोक्ता के रूप में जाना जायेगा। ऐसे उपभोक्ता जो नई पेंशन योजना के तहत आएंगे, उन्हें "प्राण" (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) के आबंटन हेतु पंजीकरण फार्म (S-1 फार्म संलग्न) भरना होगा। पंजीयन फार्म एवं दिशा निर्देश विश्वविद्यालय की बेवसाइट www.ggu.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ग्राहक रिजस्ट्रेशन फार्म S-1 और दिशा निर्देश वित्त शाखा से भी प्राप्त कर सकते हैं। विधिवत भरा हुआ S-1 प्रपत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ वित्त शाखा में 10 दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जाना है। किसी भी संदेह की स्थिति में अथवा मार्गदर्शन के लिए अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क किया जा सकता है।

वित्ताधिकारी (प्रभारी)

बिलासपुर दिनांकः 26.3.12

पृ.क्र १४०५ वित्त / १२ प्रतिलिपिः—

1. कुलपति के निजी सचिव की ओर माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।

- 2. कुलसचिव के निजी सहायक की ओर माननीय कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
- 3. समस्त विभागाध्यक्ष / विभाग प्रमुख कि ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- संबंधित कर्मचारी।
- 5. विभागाध्यक्ष, संगणक विभाग की ओर विश्वविद्यालय बेवसाइट पर अपलोड हेत् प्रेषित।

सहा. कुलसचिव (वित्त)



गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009) www.ggu.ac.in [E-mail ID - mskkhokhar@rediffmail.com] Ph. No. 07752 - 260036

S.No...1404/Fin./12 Bilaspur Date: 26/03/12

// CIRCULAR //

The Government of India has introduced New Pension Scheme, which is applicable to all new employees joining Govt. services on or after 1st January 2004. Under this scheme, the employee concerned will have to make contribution of 10% of his basic pay + D.A. which will be deducted from his pay every month and the employer will make equal matching contribution. The employees who join the NPS will be known as subscribers. The subscriber covered under the New Pension Scheme, will have to fill the registration from S1 (form enclosed) for allotment of PRAN (Permanent Retirement Account Number). The forms & guidelines can be downloaded from University website www.ggu.ac.in. Subscriber can also collect the registration form (S1) & guidelines from the Finance Section. The duly filled S1 form along with required documents is to be submitted to the Finance

Finance Officer (I/c)

Endt.No 1405 /Fin./12 Bilaspur Date: 26.3.12

Section within 10 days. In case of any doubt & guidance, undersigned may be contacted.

Copy to:

1. P.S. to V.C. for information to Honorable Vice-Chancellor.

- 2. P.A. to Registrar, for information to Registrar.
- 3. All H.O.Ds./Heads, of GGV Bilaspur, for information and necessary action.
- 4. Employee Concerned.
- 5. H.O.D. (CSIT) for upload in the University website.

Asstt. Registrar (Fin.)